न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 182/2011

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1-गणेशराम पुत्र देवाराम
2-लक्ष्मणराम पुत्र देवाराम
3-भोलाराम पुत्र देवाराम
4-भागूराम पुत्र देवाराम
5-गलाराम पुत्र पुखाराम
जातियान-चौकीदार "बावरी"
निवासी-समौखी, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

1-हजारी पुत्र जोगा
जाति-भांबी, निवासी-समौखी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली,

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.21.10.2011

उपस्थितः- 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 08/06/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-समौखी, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 121/305 रकबा 10 बीघा की आई हुई है। जमीन के पडौस पूर्व में-पोकर की जमीन, उत्तर में-सायलान के खातेदारी की जमीन, पश्चिम में-बंशीकुमार की जमीन एवं दक्षिण-समौखी से निमाज जाने वाली सड़क पुरानी हैं। यह कृषि भूमि सायलान के कब्जे व काश्त में हैं। गैरसायलान का इस भूमि पर कभी भी काश्त कब्जा नही रहा है तथा भूमि का कभी उपयोग उपभोग नही किया है। गैरसायलान की जानकारी में है कि उक्त भूमि का बिना किसी रोक टोक के खूले रूप से निरन्तर 12 वर्षो से ज्यादा समय से कब्जा व काश्त है। जिसे गैरसायलान ने कभी भी उजर एतराज व रूकावट नही की है। दिनांक 10/08/2011 को गैरसायलान ने ग्राम-समौखी में सायलान को कहा कि खसरा नम्बर 121-305 की दस बीघा जमीन उसकी है। तथा राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में नाम दर्ज हैं, जो कब्जा छोड देना नही तो यह दावा करेगा तथा भूमि का बैचान करेगा। इसके पश्चात नकल जमाबंदी इस भूमि की दिनांक 19/08/2011 को प्राप्त की, तो प्रथम बार जानकारी में आया की गैरसायलान के नाम इन्द्राज जमाबंदी में है। प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2064 से 2067 की साथ पेश की है। गैरसायलान खसरा नम्बर 121/305 की भूमि रकबा 10 बीघा पर कभी भी काश्त नही की तथा न ही कब्जा रहा हैं। जबकि सायलान लगातार 12 वर्षो से ज्यादा समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार सायलान प्रतिकुल धारणा से इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है जो गैरसायलान का नाम जमाबंदी से हटाया जाकर सायलान का नाम बतौर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्तकार के जमाबंदी खतौनी में दर्ज किया जावे व खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे। जमाबंदी में गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान इस जमीन को बैचान करने पर आमादा है तथा सायलान को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारु हैं। जबकी गैरसायलान को कोई अधिकार नही है कि सायलान को बलपूर्वक बेदखल करे व भूमि का बैचान करे अपने नाम गलत इन्दाज का नाजायज फायदा उठाकर सायलान को अपने विधिक अधिकारो से वचित करने पर आमादा हैं। इसलिये ये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया है। सायलान का प्रथम दृष्टया मजबुत मामला है सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है सरहद मौजा–समौखी में कृषि भूमि चासरा नम्बर 121/305 रकबा 10 बीघा पर कभी भी गैरसायलान का कब्जा काश्त नही रहा है तथा गैरसायलान ने कभी भी उपयोग व उपभोग नही किया है। सायलान प्रतिकुल धारणा से इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। इस कारण यदि सायलान के कब्जे काश्त में गैरसायलान ने बाधा उत्पन्न की तथा काश्त नही करने दी, तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रुपयो में नही आंका जा सकेगा।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता ने पेश किया गया, जिसे सा0मि0 किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–गोहराई में पेश हुई। गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–समौखी, तहसील–जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 121/305 रकबा 10 बीघा की भूमि में मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षकारों को वाद के निर्णय तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मोहराई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

Scanned by CamScanner